भारतीय रिज़र्व बैंक
निर्गम विभाग
क्षेत्रीय कार्यालय जम्मू

बोली- पूर्व बैठक के कार्यवृत्त - 01 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2028 तक की अवधि (यानी दो वित्तीय वर्षों के लिए) के लिए बैंकनोट/सिक्कों के परिवहन के लिए पर्याप्त संख्या में पूरी तरह से ढके बंद कंटेनर ट्रक/वाहनों और पुलिस एस्कॉर्ट एवं बैंक और/या आरबीआई प्रतिनिधियों के परिवहन के लिए टैक्सियों की आपूर्ति हेतु ई-निविदा – आरबीआई जम्मू

ई टेंडर संख्या - RBI/Jammu Regional Office/Estate/15/25-26/ET/954

उपरोक्त विषय के आलोक में, 13 फरवरी 2026 (शुक्रवार) को पूर्वाह्न 11:00 बजे बोली-पूर्व बैठक (Off-line Pre-bid Meeting) भारतीय रिज़र्व बैंक, जम्मू में आयोजित की गई।

2. बोली-पूर्व बैठक के दौरान भारतीय रिज़र्व बैंक के निम्नलिखित अधिकारी और इच्छुक बोलीदाता उपस्थित थे-

क्रम सं	नाम (भारतीय रिज़र्व बैंक, जम्मू के प्रतिनिधि)	पदनाम
1	श्री अनिल कुमार रेशी	सहायक महाप्रबंधक
2	श्री परवीन कुमार	सहायक महाप्रबंधक/कोषपाल
3	श्री सौरभ आनंद	प्रबन्धक
4	श्रीमती स्वाती जोशी	प्रबन्धक
5	श्री अर्सलान ख़ान	सहायक प्रबन्धक
6	श्री रजत शर्मा	सहायक

क्रम सं	फर्म का नाम	फ़र्म के प्रतिनिधि का नाम
1	सासन गूड्स कैरियर	श्री अमरदीप सिंह

3. बैठक में हुई चर्चा का विवरण निम्न प्रस्तुत है-

S. No.	फर्म के प्रतिनिधि द्वारा पूछे गए प्रश्न	भारतीय रिज़र्व बैंक का स्पष्टीकरण
1	क्या पुलिस एस्कॉर्ट के लिए पिक-अप और ड्रॉप दोनों के लिए टैक्सी चार्ज का भुगतान किया जाएगा?	इच्छुक बोलीदाता के प्रतिनिधि का ध्यान निविदा दस्तावेज़ के अनुभाग IV (भुगतान और कर) की ओर आकर्षित किया गया, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि – *"पुलिस एस्कॉर्ट/बैंक कर्मियों को ले जाने वाली टैक्सी के लिए आने-जाने का शुल्क दिया जाएगा"।*
2	क्या पंजीकरण प्रमाणपत्र और राष्ट्रीय परमिट सभी पाँच (05) ट्रकों के लिए अनिवार्य रूप से आवश्यक हैं?	इच्छुक बोलीदाता के प्रतिनिधि का ध्यान निविदा दस्तावेज़ के अनुभाग VI (तकनीकी बोली के साथ जमा किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची)) की ओर आकर्षित किया गया, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि - *"सभी ट्रकों (न्यूनतम पांच, टेंडर दस्तावेज़ की आवश्यकता अनुसार) के लिए पंजीकरण प्रमाणपत्र और राष्ट्रीय परमिट आवश्यक हैं, और इन्हें MSTC पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य है"*।

कृपया नोट करें:

- यह दस्तावेज़ (प्री-बिड मीटिंग की मिनट्स) टेंडर दस्तावेज़ का एक हिस्सा होगा।
- बिड दस्तावेज़ की शर्तें, प्रतिबंध एवं विनिर्देश वैसे ही बने रहेंगे।
- उपरोक्त स्पष्टीकरण सभी इच्छुक बिडरों की जानकारी के लिए जारी किए गए हैं।